# कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद–बागपत।

पत्रांकःव–07/2016 दिनांकःसितम्बर 6,2019

## निविदा सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद की पुलिस लाईन में कृषि योग्य लगभग–255 बीघा भूमि रिक्त है जिसे कृषि कार्य हेतु एक वर्ष के लिए ठेके पर दिया जाना है। उपरोक्त भूमि को ठेके पर दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो के साथ निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1–टेण्डर ऐसे लिफापे में रखकर जिस पर टेण्डर शब्द लिखा हो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांकः 14–09–2019 को समय दोपहर 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे।

2–टेण्डर छपे हुए फार्म का होना चाहिए जो दिनांकः07–09–2019 प्रातः10–00 बजे से दिनांकः13–09–2019 सांय 17:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से रू0 400/– प्रति फार्म की दर से प्राप्त किये जा सकते हैं, जिसपर नियमानुसार जीएसटी देय होगा।

3–टेण्डर पूर्ण विवरण के साथ साफ शब्दों में अंकित होना चाहिए।

4–टेण्डर के साथ 5 प्रतिशत धरोहर राशि का बैक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक, बागपत के पक्ष में स्थानीय शाखा पर देय जमा करना अनिवार्य होगा। जिस टेण्डर के साथ धरोहर राशि संलग्न नहीं होगी उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा एतदद्वारा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5–जिस ठेकेदार/किसान की निविदा स्वीकार होगी उसे 10 प्रतिशत जमानत राशि एफडीआर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा तथा एग्रीमेन्ट भरने के उपरान्त ही कृषि कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

6–टेण्डर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिनांकः14–09–2019 को ही दोपहर 12:15 बजे कार्यालय में ठेकेदार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष खोले जायेंगे।

7–उन व्यक्तियों/ठेकेदारों को जिनके टेण्डर अस्थाई रूप से स्वीकार किये जायेंगे, हस्ताक्षर करने के लिए बुलाये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनुबंध पत्र देना होगा, ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

8–निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने या बिना कारण बताये आंशिक संशोधन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकार करने का अन्तिम अधिकार पुलिस अधीक्षक, बागपत को होगा।

6/9/19

पुलिस अधीक्षक,
बागपत।

**प्रतिलिपिः** जिलाधिकारी, बागपत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– वंरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्वनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफरनगर, हापुड, शामली को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा का अपने–अपने जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को इण्टनैट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

4– अपर पुलिस अधीक्षक, बागपत को सूचनार्थ।

5– समस्त क्षेत्राधिकारी, बागपत/प्रतिसार निरीक्षक/समस्त थाना प्रभारियों को इस निर्देश के साथ कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें, इच्छुक किसानों/ठेकेदारों को अवगत कराते हुए पुलिस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अवगत करायें।